संख्या-149/2015/आर.2882/26-3-2015-4(39)/2014

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 28 दिसम्बर 2015

विषयः-छात्रवृत्ति अधिकारी नोडल (निःसंवर्गीय) के सृजित पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन उच्चीकृत करते हुये राजपत्रित दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1842/स.क./स्था.3/2015-16, दिनांक-25.08.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-2302/26-3-2014, दिनांक-29.04.2015 द्वारा छात्रवृत्ति योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन/अनुश्रवण हेतु मुख्यालय स्तर पर सादृश्य वेतनबैन्ड-2 में वेतनमान रूपया-9300-34800, ग्रेड वेतन रूपया-4600/-में सृजित 01 निःसंवर्गीय पद के वेतनमान/ग्रेड वेतन को उच्चीकृत कर वेतनबैण्ड-3 में वेतनमान रूपया-15,600-39100 एवं ग्रेड वेतन रूपया-5400/- करते हुये उक्त पद को राजपत्रित दर्जा दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक-2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनेत्तर-001-निदेशन और प्रशासन-03-मुख्यालय अधिष्ठान' के अधीन सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1669/दस-2015, दिनांक-28.12.2015 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-149/2015-आर-2882/26-3-2015 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पे्रषितः-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम, उ0प्र0इलाहाबाद।

2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त (ब्यय नियन्त्रण) अनुभाग-3/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2

4- नियोजन अनुभाग-3/कार्मिक अनुभाग-1

5- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।